

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर-813210

विज्ञापन सं०: 01/2025

दिनांक: 10.06.2025


बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अंतर्गत विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रक्षेत्र प्रबंधक, कार्यक्रम सहायक (प्रयोगशाला), कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर), सहायक एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड-III पद पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test) परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी को **क. बैकलॉग (Backlog)** एवं **ख. वर्तमान (Current)** रिक्तियों के लिए निर्धारित शुल्क के साथ अलग-अलग आवेदन प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा एवं अभ्यर्थी को अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क के साथ आवेदन भरना अनिवार्य होगा। आवेदन फॉर्म/आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabour.ac.in पर दिनांक **12.06.2025** से डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है-

विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड आवेदन फॉर्म/आवेदन प्रपत्र को (हस्तलिखित या कम्प्यूटरीकृत) संपूर्ण रूप से भरकर एवं भुगतान की गई Payment Slip की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर निर्बंधित डाक द्वारा प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति), नियुक्ति शाखा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर-813210 के पते पर कार्यालय में पहुँचाने की अंतिम तिथि एवं समय	11.07.2025 (06:00 बजे अपराह्न)
---	---

नोट- उपर्युक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जायेगा, जिसे विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabour.ac.in पर देखा जा सकता है।

कुलपति के आदेशानुसार


10/06/2025
प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति)

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर-813210

विज्ञापन सं०: 01/2025

दिनांक: 10.06.2025

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अंतर्गत विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रक्षेत्र प्रबंधक, कार्यक्रम सहायक (प्रयोगशाला), कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर), सहायक एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड-III पद पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test) परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी को **क. बैकलॉग (Backlog)** एवं **ख. वर्तमान (Current)** रिक्तियों के लिए निर्धारित शुल्क के साथ अलग-अलग आवेदन प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा एवं अभ्यर्थी को अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क के साथ आवेदन भरना अनिवार्य होगा। आवेदन फॉर्म/आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabour.ac.in पर दिनांक **12.06.2025** से डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है-

विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड आवेदन फॉर्म/आवेदन प्रपत्र को (हस्तलिखित या कम्प्यूटरीकृत) संपूर्ण रूप से भरकर एवं भुगतान की गई Payment Slip की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर निबंधित डाक द्वारा प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति), नियुक्ति शाखा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर-813210 के पते पर कार्यालय में पहुँचाने की अंतिम तिथि एवं समय	11.07.2025 (06:00 बजे अपराह्न)
---	---

नोट- उपर्युक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जायेगा, जिसे विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabour.ac.in पर देखा जा सकता है।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय,

सबौर, भागलपुर-813210

विज्ञापन सं०: 01/2025

दिनांक: 10.06.2025

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अंतर्गत विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रक्षेत्र प्रबंधक, कार्यक्रम सहायक (प्रयोगशाला), कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर), सहायक एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड-III पद पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test) परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी को **क. बैकलॉग (Backlog)** एवं **ख. वर्तमान (Current)** रिक्तियों के लिए निर्धारित शुल्क के साथ अलग-अलग आवेदन प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा एवं अभ्यर्थी को अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क के साथ आवेदन भरना अनिवार्य होगा। आवेदन फॉर्म/आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabour.ac.in पर दिनांक 12.06.2025 से डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन भरने से संबंधित तिथि-

विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड आवेदन फॉर्म/आवेदन प्रपत्र को (हस्तलिखित या कम्प्यूटरीकृत) संपूर्ण रूप से भरकर एवं भुगतान की गई Payment Slip की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर निबंधित डाक द्वारा प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति), नियुक्ति शाखा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर-813210 के पते पर कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि एवं समय	11.07.2025 (06:00 बजे अपराह्न)
--	---

1. (क) अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक बैकलॉग (Backlog) रिक्तियों का विवरणी:-

क्र० सं०	पद का नाम	कोटिवार रिक्तियों की औपबंधिक संख्या					स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या
		अनु० जाति	अ० पि० वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	कुल		
1.	प्रक्षेत्र प्रबंधक	1	1	1	0	3	-	-
2.	कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर)	1	0	2	0	3	-	-
3.	सहायक	0	1	1	0	2	-	-
4.	कार्यक्रम सहायक (प्रयोगशाला)	0	2	0	0	2	-	-
5.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-III	1	0	2	1	4	-	-
कुल		3	4	6	1	14	-	-

(ख) अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक वर्तमान (Current) रिक्तियों का विवरणी:-

क्र० सं०	पद का नाम	कोटिवार रिक्तियों की औपबंधिक संख्या														स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या
		रैर आरक्षित	रैर आरक्षित (महिला)	अनु० जाति	अनु० जाति (महिला)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	अ० पि० वर्ग	अ० पि० वर्ग (महिला)	अनु० जन जाति	अनु० जन जाति (महिला)	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	कुल		
1.	प्रक्षेत्र प्रबंधक	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	7	1	VI-01
2.	कार्यक्रम सहायक (प्रयोगशाला)	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	7	1	VI-01
कुल		4	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	14	2	VI-02

नोट:- (क) दिव्यांगता की प्रकृति, VI – अंध एवं निम्न दृष्टि दिव्यांग के लिए दर्शायी गयी है।

(ख) बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों को सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत उच्चतर पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी।

(ग) विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया सकता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताए बिना भर्ती प्रक्रिया को किसी प्रक्रम रद्द किया जा सकता है।

चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्त/पदस्थापित करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।

2. न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता एवं वेतन स्तर:- आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवत् न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता होनी चाहिए। आवेदन भरते समय आवेदक को आवेदन पत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक अहर्ता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा-

क्र०सं०	पदनाम	वेतन स्तर	न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता
1.	प्रक्षेत्र प्रबंधक	T-4 (वेतनबैंड 9300-34800 +4200 ग्रेड पे)	Bachelor's degree in Agriculture or any other branch of science/social science relevant to agriculture or equivalent qualification from a recognised University.
2.	कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर)	T-4 (वेतनबैंड 9300-34800 +4200 ग्रेड पे)	Bachelor's degree in Agriculture or any other branch of science/social science relevant to agriculture or equivalent qualification from a recognised University.
3.	सहायक	T-4 (वेतनबैंड 9300-34800 +4200 ग्रेड पे)	A Bachelor's degree from a recognised university.
4.	कार्यक्रम सहायक (प्रयोगशाला)	T-4 (वेतनबैंड 9300-34800 +4200 ग्रेड पे)	Bachelor's degree in Agriculture or any other branch of science/social science relevant to agriculture or equivalent qualification from a recognised University.
5.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-III	(वेतनबैंड 5200-20200 +2400 ग्रेड पे)	Educational - 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or University. Professional Efficiency The candidates will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 w.p.m. for 10 minutes. The candidates who opt to taken the test in English will be required to transcribe the matter in 50 minutes on computer and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter 65 minutes on computer.

3. आरक्षण:-

(i) आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।

(ii) आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-11/आ0नी0-I-10/2023 सा0प्र0 14396 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए (संशोधन) अधिनियम, 17/2002 एवं बिहार अधिनियम, 02/2019 के आलोक में आरक्षण प्रतिशत निर्वाधित है।

(iv) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं. 673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-

(a) जाति प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र)

(b) स्थायी निवासी/मूल निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवासी/मूल निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र)

(vi) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(vii) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवासी/मूल निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं-2622 दिनांक 26.02.2019 एवं पत्रांक 12123 दिनांक 23.07.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। या प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पति प्रमाण

पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाये कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-13062 दिनांक 12.10.2017 एवं ज्ञापांक 962 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों (Persons with benchmark Disability) को रिक्तियों की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 10668 दिनांक 29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा -2(r) के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें आवेदन प्रपत्र के श्रुतिलेखक कॉलम में हॉ लिखना अनिवार्य होगा।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(xii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक -11687 दिनांक 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(xiii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक -16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(xiv) उपर्युक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में किये गये दावा

के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(xv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं०- 12722, दिनांक 12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

4. उम्र सीमा :-

(i) न्यूनतम आयु – दिनांक 11.07.2025 को न्यूनतम उम्र 21 (इक्कीस) वर्ष हो।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प सं० 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगी:-

- (क) अधिकतम आयु सीमा –
- (i) अनारक्षित (पुरुष) – 37 वर्ष।
 - (ii) अनारक्षित (महिला) – 40 वर्ष।
 - (iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) – 40 वर्ष।
 - (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या-2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 13107 दिनांक 20.09.2019 के आलोक में सरकारी सेवकों, को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पांच) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के संकल्प संख्या-962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- (vi) बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के सूचीबद्ध आकस्मिक श्रमिकों हेतु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष मान्य होगा।
- (vii) निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. परीक्षा/चयन की पद्धति :-

- (1) प्रक्षेत्र प्रबंधक, कार्यक्रम सहायक (प्रयोगशाला), कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर), सहायक एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड-III पद पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा (वहुविकल्पीय प्रश्न आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार) का अधिकतम अधिभार (Weightage) (कुल प्राप्तांक का 80%) 80 अंक तथा साक्षात्कार का अधिकतम 20 अंक कुल अधिकतम प्राप्तांक 100 अंको की ली जायेगी। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जायेगी।
- (2) स्टेनोग्राफर ग्रेड-III पद के लिए कौशल परीक्षण (Skill Test) परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षण (Skill Test) परीक्षा Qualifying प्रकृति की होगी।
- (3) लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus) अनुसूची - 3 के रूप में संलग्न है।
- (4) लिखित परीक्षा/कम्प्यूटर आधारित जाँच के लिए न्यूनतम अहर्ताक कोटिवार निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	कोटि	न्यूनतम
(i)	गैर आरक्षित	40%
(ii)	पिछड़ा वर्ग	36.5%
(iii)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	34%
(iv)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग	32%

उपर्युक्त न्यूनतम अहर्ताक सभी पदों की लिखित परीक्षा के लिए विभिन्न आरक्षण कोटियों के समान रूप से लागू रहेगा। न्यूनतम अहर्ताक प्राप्त आवेदक ही स्टेनोग्राफर ग्रेड-III पद के लिए कौशल परीक्षण (Skill Test) अथवा अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) हेतु बुलाए जा सकेंगे। किन्तु मात्र न्यूनतम अहर्ता प्राप्त करने से ही किसी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षण (Skill Test) परीक्षा अथवा साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पाने का अधिकार नहीं होगा।

(5) प्रक्षेत्र प्रबंधक, कार्यक्रम सहायक (प्रयोगशाला), कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर), सहायक एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड-III पद पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा (वहुविकल्पीय प्रश्न आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार) का अधिकतम अधिभार (Weightage) (कुल प्राप्तांक का 80%) 80 अंक तथा साक्षात्कार का अधिकतम 20 अंक कुल अधिकतम प्राप्तांक 100 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(6) मेधा सूची में tie होने पर दिशा-निर्देश:

दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा/कम्प्यूटर आधारित जाँच परीक्षा का Weightage एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक का योग समान होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा/कम्प्यूटर आधारित जाँच परीक्षा में अधिभार (कुल प्राप्तांक का 80%) उच्चतर होगा, उस अभ्यर्थी को मेधा सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। तत्पश्चात् दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा/कम्प्यूटर आधारित जाँच परीक्षा का अधिभार समान होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी का जन्म तिथि के अनुसार उम्र अधिक होगी, उस अभ्यर्थी को मेधा सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। इसके पश्चात् दो या दो अधिक अभ्यर्थी का जन्म तिथि समान होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी के नाम का प्रथम अक्षर देवनागरी लिपि में पहले आएगा उसे मेधा सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।

(7) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

6. आवेदन शुल्क :-

(क) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला (आरक्षित/अनारक्षित) एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रु 200/- (दो सौ रुपये) तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रु 800/- (आठ सौ रुपये) का प्रत्येक पद हेतु शुल्क निर्धारित है।

(ख) अभ्यर्थी को **आवेदन शुल्क का भुगतान SBI e-collect** के माध्यम से विश्वविद्यालय वेबसाइट **www.bausabour.ac.in** पर दिये गये लिंक द्वारा करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क जमा करने की विस्तृत जानकारी **अनुसूची -4** के रूप में संलग्न है।

भुगतान के बाद भुगतान की गई Payment Slip संबंधित जानकारी आवेदन फॉर्म/प्रपत्र में भरना अनिवार्य है। तदोपरांत Payment Slip की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर निर्धारित पते पर निर्धारित तिथि के अंदर भेजना अनिवार्य होगा।

(ग) वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है या उस पर किसी प्रकार संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

7. महत्वपूर्ण निर्देश/आवश्यक शर्तें :-

(1) आवेदन फॉर्म/प्रपत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, भुगतान की गई Payment Slip की छायाप्रति एवं अन्य प्रमाण-पत्र में स्वः अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न कर "प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति), नियुक्ति शाखा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर-813210" के पते पर निर्धारित समय दिनांक **11.07.2025 (06:00 बजे अपराह्न)** के अंदर सिर्फ निबंधित डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र रहेगा। पतायुक्त लिफाफे के ऊपर पदनाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षरों में उद्धृत करना अनिवार्य होगा।

(2) आवेदक आवेदन प्रपत्र **www.bausabour.ac.in** (अनुसूची -2) से डाउनलोड कर सकते हैं।

(3) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप से उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

(4) आवेदक द्वारा आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरा जायेगा। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

(5) पूर्व से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवार को उनके वर्तमान नियोक्ता से एनओसी-सह-सतर्कता (NO OBJECTION-CUM-VIGILANCE CLEARANCE) प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुसूची -1 के रूप में निर्धारित प्रपत्र संलग्न की गई है।

(6) आवेदन पत्र में विज्ञापन संख्या, पद का क्रमांक, पद का नाम एवं अन्य वांछित सूचनायें भरना आवश्यक है।

(7) चयनित उम्मीदवार को कम से कम तीन वर्षों के लिए गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बंध पत्र विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा साथ ही तीन वर्षों की अवधि तक बाह्य रोजगार के लिए आवेदन का अग्रसारण विश्वविद्यालय नियम व परिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।

(8) किसी खण्ड या नियमों में किसी भी अस्पष्टता या स्पष्टता कि कमी के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का रहेगा।

(9) विश्वविद्यालय के खिलाफ किसी भी विवाद, किसी मुकदमे या कानूनी कार्रवाई के मामले में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार जिला व्यवहार न्यायालय, भागलपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना तक सीमित होगा।

(10) वैसे सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित फर्जी संस्थान से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री या डिप्लोमा या अन्य प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो अथवा फर्जी या गलत प्रमाण-पत्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

(11) अभ्यर्थी को अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क के साथ आवेदन भरना अनिवार्य होगा।

(12) नियुक्त उम्मीदवार की सेवा योजना समाप्ति के बाद स्वतः समाप्त हो जायगी।

(13) साक्षात्कार में भाग लेने के लिए किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(14) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test) परीक्षा एवं साक्षात्कार में भाग लेने के लिए किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(15) किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवारों को आवेदन वर्तमान नियोक्ता (उचित माध्यम) के माध्यम से "प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति), नियुक्ति शाखा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर-813210" के पते पर दिनांक 28.07.2025 (06:00 बजे अपराह्न) तक निबंधित डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति पर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का पुरा अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।

- (16) सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को आवेदन पत्र की **अग्रिम प्रति** निर्धारित अंतिम तिथि तक सिर्फ निबंधित डाक द्वारा निर्धारित पते पर पहुँचने की बाध्यता होगी।
- (17) अभ्यर्थी द्वारा भरे आवेदन के साथ संलग्न कागजात किसी प्रकार का सत्यापित प्रति वापस नहीं किया जायेगा।
- (18) अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन प्रपत्र का छायाप्रति निश्चित रूप से अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर से प्रस्तुत कर सकें।
- (19) अभ्यर्थी को आवेदन के समय संलग्नित सभी वांछित प्रमाण पत्र मूलरूप में कौशल परीक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूलरूप से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का पूरा अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास होगा।
- (20) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचना अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी एक निश्चित अवधि के लिए ही रहता है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी डाउनलोड कर भविष्य हेतु सुरक्षित रखेंगे। भर्ती के बीच में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त किसी भी आवेदन पर न तो विचार किया जाएगा और न ही जानकारी प्रदान की जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तथ्यात्मक जानकारी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा।
- (21) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक F.No.A.Extn.4/18/2019-AE.III (e-52000) दिनांक 20.08.2024 द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में कृषि विज्ञान केन्द्र के विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों का सेवानिवृत्ति, प्रोन्नति, वेतन एवं अन्य भत्ता अनुमान्य होगा।
- (22) किसी भी पद के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर बनाए गए अधिनियम/परिनियम को पालन करने की बाध्यता होगी।
- (23) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए समय-समय पर लागू नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (24) अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर विज्ञापन के लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म/आवेदन प्रपत्र प्रारूप हस्तलिखित स्वीकार नहीं किये जायेंगे परन्तु आवेदन फॉर्म/आवेदन प्रपत्र के रिक्त स्थानों को भरने के लिए हस्तलिखित करने की मान्यता होगी। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित, बिना निर्धारित आवेदन शुल्क भुगतान किये एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

कुलपति के आदेशानुसार
ह•/—
प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति)

एन0ओ0सी0-सह-सतर्कता (NO OBJECTION-CUM-VIGILANCE CLEARANCE) प्रमाण-पत्र

श्री / श्रीमती / सुश्री / डॉ.को बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या दिनांक..... के तहत पदनामपर चयन होने के उपरांत उन्हें बिना किसी विलंब के कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री / डॉ. के विरुद्ध कोई कार्यवाही / लंबित है / विचाराधीन है / सतर्कता मामला या अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक नहीं है।

